राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोरधन बनाम सोनी देवी

तारीख हुक्म	03/2026 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — बाज०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/2026	प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पेश किये जाने पर आज यह पत्रावली कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुई | प्रार्थना पत्र रजिस्टर करे | अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन किये जाने अपील पर सुनी गयी | अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर मूल अपील पत्रावली संख्या 817/2025 की आदेशिकाओ की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी गोवर्धन स्वयं द्वारा दिनांक 03/09/2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर कर मूल अपील पत्रावली को विड्रा किया गया है, ऐसे में अपीलार्थी के तर्क स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है | अत: इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03/09/2025 को पारित आदेश में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अपील विड्रा किये जाने अपील के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन मेंटेनेबल नही है | अत: उक्त प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन किये जाने अपील तदनुसार ख़ारिज किया जाता है | तदनुसार प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर सलग्न मूल अपील पत्रावली रहे |	